95-96 मान्यता

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

सेवा में

प्रबन्धक,
इकरा प्रेप स्कूल – इकरा कालोनी
अलीगढ़।

पत्रांक मान्यता/ 28 /95-96 दिनांक 12-3-96

विषय- प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में (हिन्दी माध्यम)

= = = =

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 17-1-96 के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा 5 तक प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण वर्ष 1995-96 अर्थात 1-7-95 से 30 जून 1996 तक निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किया जाता है।

कृपया निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति कर नवीनीकरण/स्थायी मान्यतार्थ आवेदन पत्र नियमानुसार 30-9-96 तक इस कार्यालय में प्रेषित करें।

1- विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएं रखी जायें।
2- विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ायी जायें।
3- विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धारित शुल्क लिया जाय।
4- विभागीय नियमों/आदेशों का पालन किया जाय।
5- भवन की निजी एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

किसी प्रकार की प्राप्त शिकायत की जाँच सही पाए जाने पर मान्यता मान्यता वापिस लेने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित है।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

पृ०सं० मान्यता/ /95-96 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- उप विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
2- सम्बन्धित शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा अधीक्षिका, जनपद अलीगढ़

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

पत्र में

1996-97 मान्यता

प्रबन्धक,

--- इन्दिरा बाल निकेतन, ---

--- इन्द्रानगर --- अलीगढ़

पत्रांक मान्यता/2576/96-97 दिनांक 31-03-1997

विषय- प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि जनपदीय मान्यता समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण वर्ष 1996-97 अर्थात 1-7-96 से 30-6-97 तक निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किया जाता है। यह मान्यता हिन्दी माध्यम से मान्य है।

कृपया निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति कर मान्यतार्थ आवेदन पत्र नियमानुसार 30-9-97 तक इस कार्यालय में प्रेषित करें।

1- विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकायें रखी जाएं।
2- विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ायी जायं।
3- विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धारित शुल्क लिया जाय।
4- विभागीय नियमों/आदेशों का पालन किया जाय।
5- भवन की निजी एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

किसी प्रकार का गुप्त शिकायत के जांच के सही पाए जाने पर मान्यता वापिस लिए जाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित है।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

सं० मान्यता/ /96-97 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।

2- सम्बन्धित शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका, जनपद अलीगढ़।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़ ।

97-98-99

सेवामें,

प्रबन्धक,
- इकरा पब्लिक स्कूल सर सैयद
- - - - - - नगर, अलीगढ़ - - - - - - -

पत्रांक:-शि0अ0/मान्यता/ 362 /97-98 दिनांक 29.5.98
विषय:- प्राइमरी स्कूल की अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण । 13-5-98

xxxxx:xx

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में मान्यता समिति के प्रस्ताव संख्या- 3 दिनांक 29-5-98 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय की उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा §6§ अनुभाग के शासनादेश संख्या-230/15-6-96-18 एस.§7§/89 दिनांक 18-1-96 में दिये गये निर्देशानुसार सत्र 1-7-97 से 30-6-99 कक्षा 1 से 5 तक की प्राइमरी स्कूल की अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया जाता है इस अवधि में निम्नांकित शर्तों की पूर्ति कर स्थायी मान्यता प्राप्त करलें अन्यथा इसके उपरान्त अस्थायी मान्यता का पुनः नवीनीकरण करना सम्भव न होगा ।

1- सोसाइटी के पंजीकरण का नवीनीकरण अवधि समाप्त होने से पूर्व करायें ।
2- 1/2 एकड भूमि तथा 2000 वर्ग मीटर खेल का अतिरिक्त मैदान की व्यवस्था की जाये ।
3- विद्यालय के लिये निजी भवन की व्यवस्था की जाय जिसमें प्रत्येक कक्षा के बैठने हेतु शिक्षण कक्ष उपलब्ध हो तथा प्रत्येक कक्ष में कम से कम 35 से 40 छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो ।
4- प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाये ।
5- विभागीय नियम / निर्देशों का पालन किया जाय तथा विभाग व्दारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का ही शिक्षण स्कूल में कराया जाय । यदि स्कूल में विभागीय स्वीकृत पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्क्रम या पुस्तकों के व्दारा शिक्षण कार्य कराया गया पाया जायेगा तो मान्यता निरस्त करदी जायेगी ।
6- विभाग व्दारा स्वीकृत शुल्क से अधिक शुल्क वसूल न किया जाय ।
7- विभागीय अधिकारियों को विद्यालय के निरीक्षण एवं अभिलेखों के परीक्षण में अपेक्षित सहयोग दिया जाय ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 29/5/98
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़ ।

जूनियर हाई स्कूल

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

प्रबन्धक,

इकरा पब्लिक स्कूल, इकरा कालोनी, सर सैयद नगर, अलीगढ़।

पत्रांक: सी0बी0/मान्यता/ 1601-05 /95-96 दिनांक: 29-5-95

विषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के बारे में।

महोदय,

शासकीय संख्या: 217/15-6-92-18-स्त(7)/89 दिनांक 11-5-92 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे:-

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/क्राफ्ट/प्रसार अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
आगरा मण्डल, आगरा।

पृ0सं0सी0बी0/मान्यता/ /95-96 तद्दिनांक 25/5/95

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
2-सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल।
4-लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा परिषद, आगरा मण्डल।
5-जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, आगरा मण्डल।
6-उप विद्यालय निरीक्षक/ शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका, आगरा मण्डल।
7-कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
आगरा मण्डल, आगरा।